<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/4257/2005/चित्तौडगढ

1. मु. नंदू बाई बेवा रतनलाल बलाई
2. कन्हैयालाल पुत्र रतनलाल
3. लवकुमार पुत्र रतनलाल
4. सत्यनारायण पुत्र रतनलाल

नाबालिगान जरिये माता मु. नंदू बाई बेवा रतनलाल समस्त जाति बलाई निवासीगण भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।

अपीलांट्स/प्रतिवीदगण....

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौडगढ।

रेस्पो0/वादी...

2. कालू पुत्र नाथू अहीर
3. बालू पुत्र भूरा अहीर

समस्त निवासीगण भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादी/रेस्पो0...

<u>खण्डपीठ</u>
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री पी0एस0दशोरा, अभिभाषक अपीलांट्स।
श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 के।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 15.02.2021

1. यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ दिनांक 12.01.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा उन्होंने सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.97 को यथावत रखा।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार गंगरार ने परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत दिनांक 08.10.84 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम भटवाडा खुर्द तहसील गंगरार में स्थित खसरा न0 660 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 661 रकबा 3 बीघा 8 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 श्रीमती भूरी बाई बेवा डालू बलाई एवं प्रतिवादी संख्या 2 रतन पिता डालू के नाम खातेदारी में है जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 नाथू एवं 4 बालू पुत्रगण भूरा को कब्जा दे दिया है जो प्रावधानों के विपरीत होने से इसे बिलानाम घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जबाव पेश करते हुये कहा कि उक्त रकबा स्व. डालू पुत्र मेधा बलाई से 2000/– रूपये मं दिनांक 21.01.1970 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से उक्त रकबा पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः हम इसके आराजी के खातेदारी घोषित होने के अधिकारी है इसलिए हमे बेदखल नहीं किया जा सकता। इस पर वाद बिन्दु 3 व 4 विधि संबधी होने से इनका निर्णय दिनांक 03.09.85 को किया गया शेष बिन्दु पर साक्ष्य लेकर सुनवाई कर दिनांक 28.4.86 को वाद डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनरावेदन प्रस्तुत करते हुये रतन के अवस्क होने से उसके वली नियुक्त कर सुनवाई करने हेतु प्रकरण 22.10.86 प्रतिप्रेषित किया गया। दिनांक 18.05.87 को पुनः वाद बिन्दु निर्धारित कर साक्ष्य व सुनवाई के बाद दिनांक 30.07.93 को वाद डिक्री करते हुयु प्रतिवादियों को बेदखल कर भूमि बिलानाम सरकार घोषित करने की डिक्री जारी कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में पुनरावेदन पेश होने पर दिनांक 02.1.96 को नियमानुसार साक्ष्य लेकर सुनवाई करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर ने सभी बिन्दुओं पर पूर्ण चर्चा कर समस्त विवेचन के आधार पर दिनांक 08.10.97 को वाद पुनः डिक्री कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में पुनः पुनरावेदन पेश किया गया। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.1.05 पुनरावेदन अस्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.97 को यथावत रखा। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 12.01.05 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तु की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट्स ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष डालू बलाई द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र बहक भैरूलाल दिनांक 27.6.92 की प्रति, ग्राम भटवाडा खुर्द के खाते की प्रति एवं पास बुक संवत 2046 प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया था कि उक्त दस्तावेज पूर्व में प्राप्त नहीं हो सके थे तथा प्रकरण का वास्तविक निर्णय के लिए इन्हें रिकार्ड पर लिया जाना अति आवाश्यक है परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध रूप से अस्वीकार किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय में शहादत प्रस्तुत की गई तथा स्वयं अपीलीय न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई थी जिससे अपीलांट्स का कब्जा पूर्णतया सिद्ध हो रहा था तथा स्वयं रेस्पो0 ने दिनांक 24.01.94 को न्यायालय के समक्ष यह लिखकर दिया था कि प्रतिवादी/रेस्पो0का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है और ना ही विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध है फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य के नजरअंदाज कर अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 21.01.70 का था। इसलिए दिनांक 21. 01.70 को 3 वर्ष की मियाद धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने संशोधित दिनांक 23.4.71 व दिनांक 04.9.81 का गलत पठन कर 30 वर्ष की मियाद मानकर निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रावधान केवल इस इस आधार पर किया गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण कृषि भूमि से अपनी आजीविका चला सके । मौजूदा प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा ही प्रतिवादी–अपीलांट्स का है तो फिर धारा 42 व 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही बेदखल करने बाबत कोई औचित्य नहीं है अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कूाननी बिन्द को भी नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्ययालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भैरूलाल को स्थानांतरित कर दी जिसकी जानकारी तहसीलदार को थी परन्तु दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों ने उसे पक्षकार नही बनाकर निर्णय पारित कर दिया। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों अपास्त करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपने आप में परिपूर्ण निर्णय है जिसे परीक्षण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया है। इसमें तनकीवार निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा कब्जा काश्त करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लघंन है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 कंटेस्ट नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में इस पर अलग से कोई आदेश देना आश्यक नहीं था। परीक्षण न्यायालय में म0 भूरी ने कहा है कि वह कब्जा वापस प्राप्त करने की अधिकारी है जिससे साबित है कि भूमि स्वर्ण व्यक्तियों को हस्तांतरित की गयी है तथा अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लघंन है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को बहाल रखने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली तथा उपलब्ध रिकार्ड गहनता से अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की अनपढ महिला है जिसे कानून पेचिदगीयों के संबंध में ज्यादा ज्ञान नहीं है। प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा उसे समय पर सूचित भी नहीं किया गया था कि उसके पति रतन द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष विचाराधीन है जिसका निर्णय उसके विरूद्ध हो गया है। अतः अभिभाषक की गलती का दण्ड प्रार्थीया को देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र उक्त आधार पर स्वीकार किया जाता है।

9. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, गंगरार ने अपने निर्णय अंतिम पैरा में अंकित किया कि–

‘‘अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया ग्रम भटवाडा खुर्द की आराजी 661 रकबा 0–11, आराजी 662 रकबा 0–18, आराजी 663 रकबा 3–02,

आराजी 664 रकबा 1–10 कुल किता 4 कुल रकबा 6–00 बीघा जो कि मृतक श्री डालू पिता मेधा बलाई भटवाडा खुर्द की खातेदारी की थी वह जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.01.1970 से श्री नाथू व बालू पिता भूरा अहीर भटवाडा खुर्द को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के विपरीत विक्रय कर देने से अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एतद् द्वारा बिलानाम घोषित की जाती है तथा कब्जा वादी प्राप्त करने की डिक्री प्रदान की जाती है।''

इस प्रकरण के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि मृतक डालू पुत्र मेधा बलाई द्वारा दिनांक 21.01.70 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विवादित भूमियां नाथू, बालू पुत्रगण भूरा अहीर को विक्रय कर दी गयी थी। इसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि का अनुसूचित जाति के व्यक्ति से सवर्ण जाति के व्यक्ति के मध्य हंस्तातरण किया गया है जो स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधिसंगत पायी जाती है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर तनकीवार विधिसमंत निर्णय दिनांक 08.10.97 पारित किया गया है। तत्पश्चात अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी इस प्रकरण का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय दिनांक 12.01.05 पारित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय निष्कर्ष पारित किये है जो विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 08.10.97 व 12.01.2005 यथावत रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य